कोर्ट केसिज/अतिआवश्यक /तिथिबद्ध

प्रेषक:

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा
सैक्टर–5, शिक्षा सदन, पंचकूला।

सेवा में

1. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0, हरियाणा, गुरूग्राम
2. हरियाणा राज्य स्थित सभी जिला शिक्षा अधिकारी
3. हरियाणा राज्य स्थित सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
4. प्राचार्य डाईट/बाईट
5. डी0पी0आई0 चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 4/10–2018 एच॰आर॰जी॰–।। (2)
दिनांक, पंचकूला:

विषय: **सरकार की दिनांक 17.04.2017 की हिदायतों अनुसार दिनांक 01.01.1996 से विकलांगता के आधार पर 3 प्रतिशत आरक्षण को मध्यनजर रखते हुए मुख्याध्यापक के पद पर वरिष्ठता निधारित करते हुए पदोन्नति प्रदान करने बारे।**

....

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र यादि कमांक 4/10–2018 एच॰आर॰जी॰–।। (2) दिनांक 18.03.2021 व 14.09.2021 के संदर्भ में।

इस सम्बन्ध में एच0आर0जी0–।। शाखा द्वारा तैयार पदोन्नति प्रोफार्मा जिसमें अध्यापक का पूर्ण रिकार्ड ए0सी0आर0 सहित तथा विकलांगता से सम्बन्धित प्रोफार्मा एवं 252 मास्टर वर्ग की विकलांग वर्ग की वरिष्ठता सूची की एक प्रति पुनः भेजते हुए आदेश दिये गये थे कि सरकार की हिदायतों अनुसार दिनांक 01.01.1996 से वर्ष 1998 तथा वर्ष 2012 के ग्रुप बी के नियमानुसार जो भी प्रार्थी जारी सूची अनुसार मुख्याध्यापक उच्च विद्यालय के पद पर पदोन्नति लेना चाहता है/शर्ते पूर्ण करता है तो उनका पदोन्नति मामला संलग्न प्रोफार्मा अनुसार पूर्ण रूप से तैयार करकें तथा जिला शिक्षा अधिकरी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से सत्यापित करवाकर विशेष संदेश वाहक के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर–2 भिजवाना सुनिश्चित करें। यह भी लिखा जाता है कि प्राप्त केसों की एक प्रति निदेशालय की एच0आर0जी0–।। शाखा की ई–मेल आई0डी0 dsehrgii@gmail.com पर भी भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि कोई कर्मचारी सरकार की हिदायतों अनुसार विकलांग वर्ग के आधार पर पदोन्नति नही लेना चाहता तो वह अपना प्रतिवेदन लिखित में देते हुए सम्बन्धित जिला मौलिक/जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय की एच0आर0जी0–।। शाखा में भिजवाये जोकि आपसे अभी तक वांछित है।

अतः आपको पुनः लिखा जाता है कि मामले में कार्यवाही करके पूर्ण तथ्यों सहित टिप्पणी अंकित करते हुए एक सप्ताह के अंदर–2 निदेशालय को योग्य कर्मचारियों के पदोन्नति मामले भिजवायें अन्यथा मामले में माननीय आयोग के आदेशानुसार मामले में देरी के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिका कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी तथा एक

सप्ताह के बाद यदि कोई मामला प्राप्त होता है तो वह पदोन्नति के लिए नहीं विचारा जायेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

नोटः जिला शिक्षा अधिकारी/मौलिक शिक्षा अधिकारी विषयांकित मामले में विकलांगता कें आधार पर पदोन्नति मामला भेजते समय यह सर्टिफिकेट दे कि उनके जिले में जारी सूची अनुसार कोई भी मामला लम्बित नही है। यदि भविष्य में किसी अध्यापक से कोई मामला प्राप्त हुआ तो उसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगे।

कृप्या इसे परम अग्रता प्रदान करें।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार

उप निदेशक एच0आर0जी0–।।
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक सम् **दिनांक, पंचकूला।** 1/10/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा को भेजकर अनुरोध है कि विषयांकित मामलों में सरकार की हिदायतों अनुसार अपने स्तर पर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि विकलांगता के आधार पर मुख्याध्यापक उच्च विद्यालय के पद पर पदोन्नति मामला सीधे निदेशालय की एच0आर0जी0–।। शाखा में एक सप्ताह के अन्दर–2 भिजवाये।
2. संयुक्त निदेशक एच0आर0एम0–।।/उपनिदेशक एच0आर0एम0–।।।, कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा को भेजते हुए लिखा जाता है कि एच0आर0जी0–।। शाखा द्वारा दिनांक 18.03.2021 को क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र जारी किया गया था जिसके संदर्भ में भिन्न जिलों से 64 ई0एस0एच0एम0/मास्टर जिनकी सूची संलग्न करते हुए लिखा जाता है कि सूचि में अंकित अध्यापकों द्वारा विकलांग सूची में नाम दर्ज करने हेतु लिखा है। अतः इनका नाम विकलांगता वरिष्ठता में अंकित करने का कष्ट करें। यह भी व्यक्त किया जाता है कि मास्टर वर्ग की वरिष्ठता जो पत्र यादि कमांक 2/5–2019 एच0आर0एम0–। (2) दिनांक 13.02.2020 को क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित की गई थी, का अवलोकन किया गया उदाहरण के तौर पर जारी सूची के कमांक 1 पर श्री सीता राम, जो 1968 को बतौर जे0बी0टी0 अध्यापक नियुक्त हुए थे तथा नियुक्ति के समय वह 80 प्रतिशत विकलांग दर्शाये है और दिनांक 31.08.2005 को एस0एस0 पद से सेवानिवृत हुए है। सरकार की हिदायतें अनुसार दिनांक 01.01.1996 से श्री सीता राम बारे पहले आप द्वारा निर्णय लिया जाना है। इसी प्रकार सूची में अन्य कुछ और जे0बी0टी0 व सी0एंड0वी0 दर्शाये है, सरकार की हिदायतों दिनांक 01.01.1996 अनुसार, से इन जे0बी0टी0 को प्रथम पदोन्नति आप द्वारा दी जानी है। इस बारे एच0आर0एम0–।।/।।। शाखा सूची का पुनः अवलोकन करे तथा पुनः संशोधित सूची एक सप्ताह के अंदर–2 एच0आर0जी0–।। शाखा को उपलब्ध करवायें।
3. उप निदेशक आई0टी0 सैल को भकर अनुरोध है कि सम्बन्धित पत्र को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

01/10/2021

उप निदेशक एच0आर0जी0–।।
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

F:\Mahavir S\Letter Hindi New.Docx